न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 142/2016 (उदयपुर डिक्री)

डालू पिता भुरा जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. भांकरलाल पिता कि ाना उर्फ राधाकि ान उर्फ कन्हैयालाल जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. छगनलाल पिता कि ाना जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. नाथुलाल पिता कि ाना जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. गेहरीलाल पिता कि ाना जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती वरदीबाई बेवा कि ाना जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (मृतक)
6. वरदी ांकर पिता रूपा जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
7. धुला पिता भजा जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

   7/1. श्रीमती गला पत्नी प्रताप जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

8. के ाा पिता खुमाणिंग जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
9. माना पिता खुमाणिंग जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:20:27 IST
Reason: SelfAttested

10. अमृतलाल पिता खुमाणिंग जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

11. जगन्नाथ पिता हेमा जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

12. अमृतलाल पिता कि ाना जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

12/1. मिठालाल पिता अमृतलाल जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

12/2. गेहरीलाल पिता अमृतलाल जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

12/3. गीतूचन्द पिता अमृतलाल जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

12/4. श्रीमती तारादेवी पत्नी चुन्नीलाल जी ब्राहमण पुत्री अमृतलाल जी ब्राहमण, निवासी कागटी, तरपाल के पास तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा
दिनांक 16.03.2012 प्र.सं. 14/2011

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री हनुमान प्रसाद भार्मा अभिभाशक अपीलान्ट
2– श्री गिरजा भांकर मेहता अभिभाशक रे0 सं0 1
3– श्री सुरे ा प्रजापत अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट सं. 2

———::———

निर्णय दिनांक 05–10–2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक अ[illegible]त धारा 53, 54, 88 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:20:27 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूल पुरूश दल्ला जी थे, जिनका लड़का कि ानलाल उर्फ राधाकि ान हुआ, जिसकी दिनांक 10–02–1987 को मृत्यु हो चुकी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 राधाकि ान के लड़के हैं। मौजा ब्राहमणों का कलवाना व मौजा बटेरी में वादी के पिता कि ाना उर्फ राधाकि ान की खातेदारी एवं सहखातेदारी की वाद पत्र के साथ संलग्न परिि ाश्ट ''अ'' की आराजियात स्थित है। कि ाना जी के निधन के बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उनके उत्तराधिकारी हैं। विवादित आराजियात मौरूशी होने से कि ाना जी की आराजियात में वादी का 1/5 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज है, किन्तु भूमि भाामलाती होने से विवाद होता है। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार घोशित किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 3 तनकियात कायम की गयी एवं उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 16–03–2012 से वादी का वाद आंि ांक रूप से स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा यह अपील दिनांक 06–06–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री गिरजा भांकर मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री सुरे ा प्रजापत उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रथम बार दिनांक 17–05–2012 को हुई। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर मनन किया। न्यायाहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौरान विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के एवं बिना पक्षकारों को सूचना दिये निर्णय पारित किया है। दिनांक 16–12–2008 को वादी का वाद खारिज कर दिया गया, जिसकी अपील वादी द्वारा किसी भी न्यायालय में नहीं की गयी। केवल मात्र अधिनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुए दिनांक 26–05–2001 को वादी के अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होते हैं, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 की उपस्थिति लिखते हुए पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर से रिमाण्ड से प्राप्त का अंकन कर पुनः लिपिबद्ध का आदे ा देते हैं, जो त्रुटि पूर्ण है। क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जब दिनांक 16–12–2008 को वाद खारिज कर दिया गया तो किस आधार पर 3 वर्श बाद दिनांक 26–05–2011 को पत्रावली पुनः रेकार्ड रूम से निकलवाकर प्रोसिडिंग भाुरू कर दी गयी। पत्रावली राजस्व मण्डल से रिमाण्ड होना लिखा है, किन्तु रिमाण्ड बाबत् कोई आदे ा नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने येन–केन प्रकारेण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को फायदा पहुंचाने की नियत से वाद डिक्री किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–12–2008 को वादी का वाद खारिज कर दिया गया। इसके बाद अचानक दिनांक 26–05–2011 को पत्रावली राजस्व मण्डल के निर्दे ाानुसार पुनः दर्ज की जाती है, जबकि राजस्व मण्डल, अजमेर का आदे ा दिनांक 23–12–2008 को होकर उसमें स्पश्ट निर्दे ा दिये गये हैं कि 10–15 दिन की तारीख पे ाी नियत कर 2 माह में वादी की सम्पूर्ण साक्ष्य लिपिबद्ध करें, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के आदे ा के करीब 2½ वर्शो बाद प्रकरण दर्ज किया है, [illegible] ास्पद है। इसके अलावा हम यह

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:20:27 IST
Reason: SelfAttested

भी पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसका खाते से नाम हटाने का आदे ा दिया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 16–12–2008 में अपीलान्ट/ प्रतिवादी संख्या 5 डालू का नाम जमाबन्दी में दर्ज होने को विधि सम्मत मानते हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद खारिज किया था। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–03–2012 त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–03–2012 अपास्त की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 05–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:20:27 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ..........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....एम. एल. चौहान, आर.ए.एस. ....

डालु पिता भुरा जी ब्राहमण, नि0 <u>बनाम</u> भांकरलाल पिता कि ना उर्फ राधाकि न
ब्राहमणों का कल्वाणा, तहसील उर्फ कन्हैयालाल,नि.ब्राहमणों का कल्वाणा
तहसील गोगुन्दा, उदयपुर तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं............142/2016.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.........
...... गोगुन्दा .... मुकाम................मुवर्खे.............16...............माह..............03.............2012

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........05...माह........10.......सन् 2021 रूबरू........पक्षकारान व हाजरी......श्री हनुमानप्रसाद भार्मा......मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री गिरजा ंकर मेहता

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–03–2012 अपास्त की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........05....माह.......10...........2021 को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म [illegible] का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:20:27 IST
Reason: SelfAttested